तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोविन्दकरण बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 166/2023	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.23	अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़ निवासी 79, हनवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलोनी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2023 में (1) अपर जिला कलक्टर–तृतीय, जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा जोधपुर से प्रार्थी के निम्न पत्र मय शिकायत की छायाप्रति जांच हेतु भेजे गए (क) पत्र क्रमांक 216 दिनांक 01.02.2023 (ख) पत्रांक 220 दिनांक 01.02.2023 (ग) पत्र क्रमांक 205 दिनांक 01.02.2023, से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर राज.	